पेज संख्या – 39 –

प्राधिकरण की आवासीय योजना आरपीएस–02 सैक्टर जीटा–2 के आवंटियों को भू–अधिग्रहण सम्बन्धी समस्याओ के कारण भूखण्ड का कब्जा वर्ष–2010 से वर्तमान तक नही दे पाने के कम में आवंटियों को नियमानुसार विकल्प दिये जाने पर विचार करने हेतु गठित समिति की दिनांक 06.12.2017 को आहूत हुई बैठक में सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर समयक विचारोपरान्त आवासीय योजना आरपीएस–2 के आवंटियों को निम्नानुसार विकल्प दिये जाने की संस्तुति की जाती है:–

1. इस योजना के समस्त आवंटी जिनके द्वारा एक मुश्त धनराशि जमा कराई गय है अथवा किस्तों में जमा कराई गयी है इन आवंटियों को योजना के ब्रॉशर में वर्णित शर्तो के अनुरुप 4 प्रतिशत ब्याज दर सहित धनराशि वापस करने का विकल्प दे दिया जाये अन्यथा यथास्थान जबतक भू–अर्जन सम्बन्धित स्थिति स्पष्ट नही हो जाती तत्समय तक इन्तजार कर लिया जाये।

तदानुसार समिति की संस्तुति अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है।

वरिष्ठ कार्यपालक(विधि) | उप महाप्रबन्धक(नियोजन) | विशेष कार्याधिकारी(भूलेख)

महाप्रबन्धक(परियोजना) | महाप्रबन्धक(सम्पत्ति) 6/12/17 | महाप्रबन्धक(वित्त) 6/12

Balkrishna 6/1/17

बाल कृष्ण त्रिपाठी
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

31/1/18

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्यो० वि० प्राधिकरण

GM (सम्पत्ति)

06.02.18
ACEO

Mgr(RPS02)
JM Ajab Singh

6/2/18

GM(Prop)

पेज संख्या —40—

कृपया एन—39 पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 31.01.2018 के कम में प्राधिकरण की आवासीय योजना आर0पी0एस0—02 सैक्टर—जीटा—02 के आवंटियों को निम्न विकल्प दिया गया है:—

"इस योजना के समस्त आवंटी जिनके द्वारा एक मुश्त धनराशि जमा करायी गयी है अथवा किश्तों में जमा करायी गयी है इन आवंटियों को योजना के ब्रॉशर में वर्णित शर्तो के अनुरूप 4 प्रतिशत ब्याज दर सहित धनराशि वापस करने का विकल्प दे दिया जाये अन्यथा यथास्थान पर जब तक भू—अर्जन सम्बन्धित स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तत्समय तक इन्तजार कर लिया जाये।"

1. कृपया उपरोक्त कम में अवगत कराना है कि जो आवंटी जमा धनराशि को रिफण्ड लेने के इच्छुक है तो जमा करायी गयी धनराशियों के मूल बैंक चालानों की प्रतियां एवं मूल आवंटन पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, तदोपरान्त ही रिफण्ड किये जाने की अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
2. जिन आवंटियों द्वारा ~~पत्र निर्गत की तिथि से 45 दिन के अन्दर~~ रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उन सभी आवंटियों को यथास्थान पर भू—अर्जन सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट होने तक इन्तजार करना होगा।

उपरोक्तानुसार DFA तैयार कर पत्रावली कमांक 250 पर संलग्न कर दिया है। कृपया आवंटियों को प्रेषित करने से पूर्व प्रस्तुत DFA का विधिक परीक्षण कराने हेतु पत्रावली विधि विभाग को अग्रसारित करना चाहें।

योजना सहायक
8/2/18

08/02/18
Mgr(prop)

प्रबन्धक (सम्पत्ति)
महा प्रबन्धक (सम्पत्ति)

SEC(Law)

DLO(SP)

13/2/18

8/2/18

251

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट नं.–1, नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएड सिटी
जिला–गौतमबुद्व नगर

पत्रांकः- सम्पत्ति/आरपीएस02 /2018/ दिनांकः 02/2018/

सेवा में,

विषय–<u>**आर0पी0एस0–02 , सैक्टर जीटा–02 के आवंटियों को भूखण्ड नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।**</u>

महोदय/महोदया,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 31.01.2018 के कम में सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की आवासीय योजना आर0पी0एस0–02 सैक्टर–जीटा–02 के आवंटियों को निम्न विकल्प दिया जाता है:–

"इस योजना के समस्त आवंटी जिनके द्वारा एक मुश्त धनराशि जमा करायी गयी है अथवा किश्तों में जमा करायी गयी है इन आवंटियों को योजना के ब्रॉशर में वर्णित शर्तो के अनुरूप 4 प्रतिशत ब्याज दर सहित धनराशि वापस करने का विकल्प दे दिया जाये अन्यथा यथास्थान पर जब तक भू–अर्जन सम्बन्धित स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तत्समय तक इन्तजार कर लिया जाये।"

1. कृपया उपरोक्त कम में अवगत कराना है कि जो आवंटी जमा धनराशि को रिफण्ड लेने के इच्छुक है तो जमा करायी गयी धनराशियों के मूल बैंक चालानों की प्रतियां एवं मूल आवंटन पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करने की स्थिति में, तदोपरान्त ही रिफण्ड किये जाने की अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
2. जिन आवंटियों द्वारा पत्र प्राप्ति की तिथि से 45 दिन के अन्दर रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उन सभी आवंटियों को यथास्थान पर ही भू–अर्जन सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट होने तक इन्तजार करना होगा।

भवदीय,

प्रबन्धक (सम्पत्ति)

Scanned with CamScanner